



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28082024-256702  
CG-DL-E-28082024-256702

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3329]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 28, 2024/भाद्र 6, 1946

No. 3329]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 28, 2024/BHADRA 6, 1946

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2024

**का.आ. 3646(अ).**—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि, लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित है कि खनिज तेल (कच्चा तेल), मोटर और विमानन स्पिरिट, डीजल तेल, मिट्टी का तेल, ईंधन तेल, विविध प्रकार के हाइड्रोकार्बन तेल और उनके सम्मिश्रण, जिनके अंतर्गत कृत्रिम ईंधन, स्नेहक तेल और उसी प्रकार के कृत्रिम ईंधन और स्नेहक तेल भी हैं, के विनिर्माण या उत्पादन में लगी हुई सेवाएँ जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची के मद 26 के अधीन आती है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा होंगी;

और केन्द्रीय सरकार ने श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 941(अ), तारीख 28 फरवरी, 2024 द्वारा उक्त औद्योगिक उपक्रम को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 28 फरवरी, 2024 से छह माह की अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है;

और उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (ड) उपखंड (vi) के परंतुक में यह उपबंध करता है कि यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में लोक उपयोगिता सेवा की घोषणा का विस्तार अपेक्षित है, इसे छह महीने से अधिक अवधि के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उसकी यह राय है कि लोकहित में विस्तार की आवश्यकता है, अधिसूचना संख्या का.आ. 941(अ), तारीख 28 फरवरी, 2024 में विनिर्दिष्ट अवधि को, 28 अगस्त, 2024 से छह महीने की और अवधि के लिए बढ़ाती है, जिसके दौरान उक्त औद्योगिक उपक्रम में लगी सेवाएं उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगिता सेवा होगी।

[फा. सं. एस-11017/05/2024-आईआर(पीएल)]

दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2024

**S.O. 3646(E).**—WHEREAS the Central Government is satisfied that public interest so requires that the services engaged in manufacture or production of mineral oil (crude oil), motor and aviation spirit, diesel oil, kerosene oil, fuel oil, diverse hydrocarbon oils and their blends including synthetic fuels, lubricating oils and the like, which is covered under item 26 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be public utility service for the purposes of the said Act;

AND WHEREAS the Central Government has declared the said industrial undertaking to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 28th February, 2024, vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 941(E), dated the 28th February, 2024;

AND WHEREAS the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the said Act provides that if the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the declaration of public utility service, it may be extended for a period not exceeding six months;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government, being of the opinion that in the public interest requires extension, hereby extends the period specified in the notification number S.O. 941 (E), dated the 28<sup>th</sup> February, 2024 for a further period of six months from the 28<sup>th</sup> August, 2024 during which the services engaged in the said industrial undertakings to be a public utility service for the purposes of the said Act.

[F. No. S-11017/05/2024- IR (PL)]

DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.